| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज<br><br>**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर**<br><br>**दीवानी वाद सख्या 59/2018**<br>**सीआईएस संख्या 213/2018**<br>**सुरेन्द्र कुमार बनाम किशना उर्फ किशनलाल व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 03.09.2025 | वकुलाय फरिकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गयी।<br>दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की गयी।<br>वहीं अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में विवाद्यक विरचित किये जा चुके है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।<br>मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं संबंधित विधिक प्रावधान का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना बाबत पेश किया गया है, जिसमें दौराने विचारण वादग्रस्त सम्पत्ति के 1/6 हिस्से के सम्बंध में प्रतिवादी सं. 1/3 प्रियांशु के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण खोले जाने के तथ्यों के दृष्टिगत वादपत्र में तद्नुसार संशोधन का अनुतोष चाहा गया है, जिसका केवल मात्र पूर्व में विवाद्यक विरचित होने के आधार पर विरोध किया गया है।<br>इस सम्बंध में जहां तक विधिक प्रावधान का प्रश्न है, आदेश 6 नियम 17 सीपीसी में यह प्रावधान किया गया है कि–<br>**अभिवचनों का संशोधन–** न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, दोनों में से किसी भी पक्षकार को, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायसंगत हो, अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और वे सभी संशोधन किए जाएंगे जो दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारणा के प्रयोजन के लिए आवश्क होः<br>परन्तु विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात संशोधन के लिए किसी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि सम्यक तत्परता बरतने पर भी वह पक्षकार, विचारण प्रारम्भ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था।<br>जहां तक उक्त विधिक प्रावधान के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण का सम्बंध है, पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में यद्यपि विवाद्यक विरचित किये जा चुके है, परन्तु अभी तक कोई साक्ष्य लेखबद्ध नहीं हुई है तथा दौराने | |

| | | |
|---|---|---|
| | विचारण उक्त नामांतरण होना बताया गया है तथा उक्त नामांतरण की कार्यवाही वाद के अनुतोष में सीधे तौर पर सम्बंधित होना दर्शित है। अतः न्यायोचित प्रतीत होने से वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनतर्गत 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वांछित संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश सुनाया गया।<br>वादी संशोधित वादपत्र पेश करे। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित वादपत्र हेतु दिनांक 14.10.2025 को पेश हो।<br><br>**(नीरज गुप्ता)**<br>**अपर जिला न्यायाधीश,**<br>**क्रम–3, अजमेर** | |